सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी।

<u>परीक्षा समिति</u>

दिनांक 14.09.2020
समय— अपराह्ण 03 बजे
स्थान— कुलपति महोदय का कार्यालयीय कक्ष।

आज दिनांक 14.09.2020 को कुलपति महोदय की अध्यक्षता में परीक्षा—समिति की आकस्मिक बैठक हुई जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए।

1.	प्रो. राजाराम शुक्ल, कुलपति	— अध्यक्ष
2.	प्रो. महेन्द्र पाण्डेय, वेद वेदांग संकायाध्यक्ष	— सदस्य
3.	प्रो. शशिरानी मिश्र, साहित्य संस्कृति संकायाध्यक्ष	— सदस्य
4.	प्रो. सुधाकर मिश्र, दर्शन संकायाध्यक्ष	— सदस्य
5.	प्रो. रमेश प्रसाद, श्रमण विद्या संकायाध्यक्ष	— सदस्य
6.	प्रो. जितेन्द्र कुमार, आधुनिक ज्ञान विज्ञान संकायाध्यक्ष	— सदस्य
7.	डॉ. नीलम गुप्ता (प्राचार्य), आयुर्वेद संकायाध्यक्ष	— सदस्य
8.	श्री विशेश्वर प्रसाद, परीक्षा नियन्त्रक	— सचिव
9.	श्री विजय मणि त्रिपाठी, सिस्टम मैनेजर	— विशेष आमन्त्रित सदस्य

बैठक में परीक्षा संचालन सम्बंधित पूर्व के निर्णयों के अनुक्रम तथा वर्तमान में कोविड—19 वैश्विक महामारी से उत्पन्न असाधारण परिस्थितियों के दृष्टिगत विश्वविद्यालय परिसर तथा सम्बद्ध महाविद्यालयों में आयेजित होने वाले वर्ष 2020 की शास्त्री तृतीय, आचार्य चतुर्थ सेमेस्टर एवं आचार्य द्वितीय (वार्षिक प्रणाली) के संस्थागत / व्यक्तिगत / बैक पेपर / श्रेणी सुधार / भूतपूर्व छात्र / एकल विषयक प्रकार, संस्कृत प्रमाणपत्रीय तृतीय खण्ड, शिक्षाशास्त्री द्वितीय खण्ड, पत्रकारिता एवं जनसंचार विज्ञान स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम, आयुर्वेदाचार्य (बी.ए.एम.एस.) चतुर्थ व्यवसायिक, आयुर्वेदाचार्य(बी.ए.एम.एस.) प्रथम / द्वितीय / तृतीय पूरक, बी0लिब0एस—सी0, पुरातत्व एवं संग्रहालय विज्ञान स्नातकोत्तर डिप्लोमा एवं विदेशी भाषा उच्चतर अनुवाद 2019, विदेशी भाषा डिप्लोमा द्वितीय खण्ड 2019, संगीत प्रमाणपत्रीय द्वितीय खण्ड 2019, भाषाविज्ञान स्नातकोत्तर डिप्लोमा 2019 के आयोजन / संचालन हेतु सामयिक परिदृश्य को देखते हुए गहन विचार विमर्श कर निम्नलिखित निर्णय लिये गए।

1. उक्त सभी परीक्षाएं दिनाक 22.09.2020 से आयेजित की जाय।
2. परीक्षा केन्द्रों की संख्या अधिक होने तथा प्रति केन्द्र परीक्षार्थियों की संख्या न्यून होने एवं केन्द्रों का सेनेटाइजेशन आसानी से करने के साथ कोविड—19 के सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए विश्वविद्यालय परिसर तथा सम्बद्ध महाविद्यालयों में शास्त्री तृतीय, आचार्य चतुर्थ सेमेस्टर एवं आचार्य द्वितीय (वार्षिक प्रणाली) की परीक्षाएं एक ही पाली में करायी जाय।
3. शिक्षाशास्त्री द्वितीय खण्ड की सभी महाविद्यालयों सहित विश्वविद्यालय परिसर में परीक्षार्थियों की संख्या न्यून होने तथा संचालन की सुगमता के दृष्टिगत गत वर्षों की भांति उनकी परीक्षाएं विश्वविद्यालय परिसर केन्द्र पर करायी जाय।

15.09.20

4. शिक्षाशास्त्री प्रथम खण्ड 2020 के छात्रों को प्रोन्नत कर द्वितीय खण्ड में प्रवेश लिया जाय तथा द्वितीय खण्ड वर्ष 2021 के प्राप्तांकों के आधार पर उनके औसतांक को प्रथम खण्ड में अंक दिया जाय।

5. विश्वविद्यालय केन्द्र पर शास्त्री तृतीय, आचार्य चतुर्थ सेमेस्टर एवं आचार्य द्वितीय (वार्षिक प्रणाली) की परीक्षाओं को छोड़कर शेष सभी परीक्षाएं अलग पाली में करायी जाय।

6. विदेशी भाषा उच्चतर अनुवाद 2019, विदेशी भाषा डिप्लोमा द्वितीय खण्ड 2019, संगीत प्रमाणपत्रीय द्वितीय खण्ड 2019, भाषाविज्ञान स्नातकोत्तर डिप्लोमा 2019 का सत्र विलम्बित होने के कारण इनकी परीक्षाएं भी दिनांक 22.09.2020 से ही करायी जाय तथा इनके प्रथम खण्ड के छात्रों की परीक्षा के संबंध में बाद में निर्णय लिया जायेगा।

7. 2020 वर्षीय परीक्षा हेतु जिन छात्रों/महाविद्यालयों के चालान निकले थे, तथा कोरोना महामारी इत्यादि अन्य कठिनाइयों के कारण परीक्षा शुल्क जमा न हो पाने के अभाव में परीक्षावेदनपत्र पूरित नहीं कर पाये हैं। आज दिनांक 14.09.2020 को श्री रामदेशिक स्ना. सं. महाविद्यालय दरासगंज प्रयागराज तथा श्री रामानन्द मिश्र आ.सं.म.वि. बनकटवा पश्चिम चम्पारण बिहार के प्रतिवेदन विश्वविद्यालय में जमा हैं, छात्रहित में मात्र उन जनित चालानों के आधार पर शुल्क जमा करा कर परीक्षावेदनपत्र पूरित करने सम्बन्धी कार्यवाही पूर्ण करा ली जाय। इस सम्बन्ध में आज दिनांक 14.09.2020 के बाद के किसी प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

8. दिनांक 22.09.2020 से आयेजित होने वाली परीक्षाओं का आयोजन उत्तर प्रदेश से बाहर के राज्यों (राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, जम्मू एवं कश्मीर) में सुदूर स्थित केन्द्रों/महाविद्यालयों पर भी किया जाना है। वर्तमान महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण उक्त राज्यों में सुदूर स्थित केन्द्रों/महाविद्यालयों के प्राचार्यों को आवागमन इत्यादि में कठिनाई के परिप्रेक्ष्य में गोपनीय सामग्री, उत्तर पुस्तिकाएं, प्रवेश पत्र, दैनिकोपस्थिति प्रपत्र, उपवेशन पत्र, परीक्षार्थियों की नामावली एवं अन्य आवश्यक प्रपत्र इत्यादि को उनके परीक्षा केन्द्रों पर निर्धारित समयान्तर्गत प्राप्त कराये जाने पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। विचार विमर्श के अनन्तर यह निर्णय लिया गया कि–

A. उत्तर प्रदेश के बाहर के राज्यों के परीक्षा केन्द्रों के केन्द्राध्यक्षों को सामग्री ले जाने के निमित्त विश्वविद्यालय में न बुलाया जाय।

B. उक्त केन्द्रों पर प्रतिदिन की परीक्षाओं के प्रश्नपत्रों को महाविद्यालय के ई–मेल पर परीक्षा प्रारम्भ होने से 30 मिनट पूर्व विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रण कक्ष से प्रेषित किया जाय तथा उनकी प्राप्ति की पुष्टि भी दूरभाष के माध्यम से सुनिश्चित कर ली जाय।

C. उत्तर पुस्तिकाओं के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि उत्तर प्रदेश के बाहर के सभी केन्द्राध्यक्ष अपनी उत्तर पुस्तिकाओं पर परीक्षा का आयोजन करायेंगे। उत्तर पुस्तिकाओं के कवर पेज/मुख्य पृष्ठ पर सभी केन्द्रों द्वारा परीक्षार्थियों से सम्बन्धित सभी प्रविष्टियां/विवरण समान रूप से अंकित कराई जाय इस निमित्त उत्तर पुस्तिका का कवर पेज/मुख्य पृष्ठ का डिजाइन/प्रारूप बनाकर महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय द्वारा ई–मेल के माध्यम से प्रेषित कर दिया जाय। उक्त केन्द्रों को यह निर्देश भी दिया जाय कि इस कवर पेज पर मात्र इंगित प्रविष्टियों को ही पूरित कराया

15.09.20

जाय तथा इस पृष्ठ पर कोई उत्तर न लिखा जाय। केन्द्रों द्वारा उत्तर लिखने के लिये छात्रों को लीगल साइज का रेखीय प्रकार (Ruled paper) का कागज प्रयोग कराया जाय जिन्हें कवर पेज/मुख्य पृष्ठ के साथ मजबूती से नत्थी (Stapple) किया जाय। केन्द्राध्यक्षों द्वारा मुख्य पृष्ठ सहित सभी लिखित पर्णों पर हस्ताक्षर मुहर किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा इनका मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।

D. उक्त केन्द्रों को ई–मेल के माध्यम से अन्य आवश्यक निर्देश एवं प्रपत्रों यथा डाकेट इत्यादि की एक–एक स्कैन्ड प्रति केन्द्रों के प्रयोगार्थ प्रेषित किया जाय।

E. उक्त उत्तर प्रदेश के बाहर के सभी केन्द्रों के परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र, दैनिकोपस्थिति प्रपत्र, उपवेशन पत्र तथा परीक्षार्थियों की नामावली को केन्द्रों/महाविद्यालयों के लॉगिन पर अपलोड कर दिया जाय जिसे केन्द्र/महाविद्यालय द्वारा डाउनलोड/मुद्रित कर परीक्षा सम्पन्न करायेंगे।

F. सभी केन्द्राध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा समाप्ति के अगले दिन सभी लिखित उत्तर पुस्तिकाओं, उपस्थिति प्रपत्र, डाकेट इत्यादि को डाक द्वारा अथवा वाहक से इस प्रकार प्रेषित करें कि अगले पांच दिनों में विश्वविद्यालय के परीक्षा अनुभाग को प्राप्त हो जाय।

15.09.20
परीक्षा नियंत्रक
सचिव/सदस्य–परीक्षा समिति
सं०सं०वि०वि०, वाराणसी।
15/9/2020

पत्रांक प.नि. 4557/2020 दिनांक 15.09.2020
प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. सचिव–कुलपति को कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
2. परीक्षा समिति के महानुभाव।
3. सिस्टम मैनेजर।
4. आशुलिपिक कुलसचिव।
5. सहायक कुलसचिव (परीक्षा)।
6. अधीक्षक (परीक्षा)।
7. सम्बद्ध पत्रावली।

15.09.20
परीक्षा नियंत्रक
सचिव/सदस्य–परीक्षा समिति
सं०सं०वि०वि०, वाराणसी।
15/09/2020